

पत्र क्र.:—जबल/का./प्रशा./558/अ.लि. (का.) 33.33% वि.को.

दिनांक—22.01.2026

सर्व संबंधित (कार्मिक/शेड/यातायात/कै.वै./टीआरडी विभाग)
जबलपुर मंडल प.म.रे.।**अधिसूचना**

विषय:— अवर लिपिक (का.), लेवल-2 (ग्रेड वेतन रु. 1900) में 33.33% विभागीय कोटा के रिक्तियों को चयन द्वारा भरे जाने के संबंध में अधिसूचना।

उपरोक्त विषयांतर्गत 33.33% विभागीय कोटा के तहत अवर लिपिक (का.), लेवल-2 (ग्रेड वेतन रु. 1900) के पदों को चयन द्वारा भरने के लिए नामिका बनाने के संबंध में अधिसूचना जारी की जा रही है एवं आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकर किये जावेगे। चयन संबंधी अन्य विवरण निम्नानुसार है—

1. रिक्तियों की संख्या:—

कोटि	लेवल	सामा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	दिव्यांग
Junior Clerk Cum Typist	02	06	01	01	08	00

2. ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्देश :—चयन के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत निर्देश निम्नानुसार हैं :—

“ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए लिंक (वेबसाइट) लिंक **202.148.57.214** ऑनलाइन आवेदन दिनांक 22.01.2026 को प्रारंभ समय प्रातः 9.30 बजे से सक्रिय होगा (समय प्रातः 9.30 से शाम 18.00 बजे तक) फार्म भरे जा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 04.02.2026 समय 18.00 बजे तक है। इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन अंतिम तिथि और समय से पहले जमा कर दें।”

क्र.	परीक्षा का विस्तृत विवरण	प्रस्तावित दिनांक
1	अधिसूचना जारी होने की तिथि	22-01-2026
2	आनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	22-01-2026 समय प्रातः 09.30 बजे से शाम 18.00 बजे तक
3	आनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	04-02-2026 समय शाम 18.00 बजे तक
4	ऑनलाईन आवेदन करने हेतु लिंक	202.148.57.214
5	डिपो प्रभारी/प्रभारी पर्यवेक्षक, अधीनस्त संबंधित कर्मचारियों के आवेदन सत्यापन उपरांत कार्मिक विभाग को आनलाईन के माध्यम से अग्रेषित करने की अंतिम तिथि	06-02-2026
6	पात्रता सूची जारी करने की संभावित तिथि	12-02-2026
7	प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि	22-02-2026
8	लिखित परीक्षा CBT की संभावित तिथि	28-02-2026
9	रेलनेट की साइट पर उत्तर कुंजी अपलोड करने की संभावित तिथि	03-03-2026

नोट:—लिखित परीक्षा की तिथि, समय व स्थान की जानकारी की पुष्टि अलग से की जायेगी।

3. आवेदन कैसे करें (कर्मचारियों के लिए निर्देश) :-

- (i) कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट 202.148.57.214 पर जाकर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन भरने से पहले इस अधिसूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
- (ii) इस अधिसूचना में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार पात्र/इच्छुक कर्मचारी को लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक आवेदन प्रारूप पर ले जाएगा जिसमें उम्मीदवार को आवश्यक विवरण भरने होंगे।
- (iii) सभी फ़ील्ड भरना अनिवार्य है।
- (iv) आवेदन प्रारूप को सावधानीपूर्वक भरना होगा और कर्मचारी को संतुष्ट होने के बाद कि सभी विवरण सही ढंग से भरे गए हैं, इसके उपरांत ही आवेदन पंजीकृत (Registration) करना चाहिए। एक बार पंजीकृत (Registration) करने के बाद कर्मचारी आवेदन में कोई बदलाव नहीं कर पाएगा।
- (v) आवेदन जमा करने के बाद, पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी।
- (vi) आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार की ईमेल-आईडी पर पावती भेजी जाएगी।
- (vii) आवेदक को ध्यान देना चाहिए कि, यदि उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी बाद में झूठी पाई जाती है, तो कर्मचारी की उम्मीदवारी को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा गलत या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी।
- (viii) आवेदनों को निम्नलिखित आधारों पर भी "अमान्य/अपात्र" माना जाएगा।
 - (अ) हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया गया है। (JPG Format (size 50kb) में अपलोड करना होगा)
 - (ब) नवीनतम फोटो अपलोड नहीं किया गया है। (JPG Format (size 50kb) में अपलोड करना होगा)
 - (स) आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/दिव्यांग प्रमाण पत्र। (JPG Format (size 20kb) में अपलोड करना होगा)
- (ix) जिन कर्मचारियों ने ऊपर वर्णित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया है, उनके आवेदन को अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (x) किसी भी परिस्थिति में, नियत तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- (xi) यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधूरे आवेदन या संबंधित स्थापना अधिकारी द्वारा सत्यापन के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(4) पात्रता एवं सेवा की शर्तें :-

01. प्रशासन विभाग के नियमित कर्मचारी जो कि लेवल-1/वे.मा. 5200-20200+1800 जी.पी. (सामान्य सहायक/स्टोर खलासी/कैंटीन स्टाफ/छात्रावास स्टाफ/सफाईवाला) में कार्यरत है व जिनकी लियन व वरीयता जबलपुर मंडल के प्रशासन कार्मिक विभाग में है एवं शेड/यातायात/कै. वे./टी.आर.डी विभागों में लेवल-1 में कार्यरत सामान्य सहायक/प्यून जिन्हें एव्हीसी के तहत इनके विभागों में लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति के अवसर नहीं है व जिनकी लियन व वरीयता जबलपुर मंडल में उनके मूल विभाग (शेड/यातायात/कै.वे./टी.आर.डी) में है एवं जिनका सेवाकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि को 02 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण हो चुकी हो।

02. यदि कर्मचारी जी.पी. 1800/लेवल 01 में कार्यरत है एवं इनकी वरीयता भी जी.पी. 1800/लेवल-01 में है तथा इनको एमएसीपी योजना के तहत 1800 जी.पी./लेवल-1 से 1900 जी.पी. लेवल-02/2000 जी.पी. लेवल-03/2400 जी.पी./लेवल-4 में वित्तीय प्रोन्नयन का लाभ प्राप्त हो चुका है, वे कर्मचारी भी आवेदन के पात्र होंगे। लेकिन अवर लिपिक (का.) वे.मा. 5200+20200+1900 जी.पी./पे.मेट्रिक्स 19900-63200 (लेवल-2) में पदोन्नति के समय केवल पद की पदोन्नति के पात्र होंगे, वेतन पदोन्नति/वेतन निर्धारण के पात्र नहीं होंगे।

41

03. सब्सीट्यूट तथा केजुअल लेबर (चाहे वे मासिक दर पर हो या दैनिक दर पर) उक्त परीक्षा के लिये पात्रता नहीं रखते हैं। केवल नियमित कर्मचारी आवेदन के पात्र हैं। केजुअल लेबर/सब्सीट्यूट के मामले में नियमितीकरण के बाद की सेवा मान्य होगी।

04. कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता जो सेवा पंजी में दर्ज होगी, वही मान्य होगी।

05. पदान्ति के लिये समूह घ के कर्मचारी अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण करने में समर्थ होना चाहिए। पदोन्नति अन्तिम आधार पर होगी तथा संबंधित कर्मचारी को निर्धारित टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पदोन्नति की तारीख से 02 वर्ष का समय दिया जायेगा और यदि वे उल्लेखित अवधि के भीतर टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो उन्हें अगले लेवल में पदोन्नत नहीं किया जायेगा।

नोट:-कर्मचारी की पात्रता अधिसूचना जारी होने की तिथि को पूर्ण होनी चाहिये।

(5) चयन पूर्व प्रशिक्षण :-

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 88-E(SCT)1/42/2 दिनांक 08.04.1991 एवं मुख्यालय पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के पत्रांक WCR/P/HQ/1350/RP/Training Grievance दिनांक 16/23.07.2018 के निर्देशानुसार गैर संरक्षा कोटि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये चयन पूर्व प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है।

(6) चयन प्रक्रिया :-

01.कर्मचारी का चयन IREM के पैरा 189 के नियमानुसार होगा:-

(क) लिखित परीक्षा - 85 अंक (ख) सेवा रिकार्ड - 15 अंक

02. IREM के पैरा 189 के अनुसार प्रश्न पत्रों को दो भागों में विभाजित किया जायेगा:-

भाग -(अ) अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान

भाग -(ब) सामान्य ज्ञान अंकगणित आदि

03. मुख्यालय के पत्र क्रं. WCR/PHQ/Conf/Selections/erstwhile Gr 'D' to Gr 'C' dated 21.01.2025 एवं रेलवे बोर्ड के आरबीई 33/2025 दिनांक 23.04.2025 के अनुसार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों को भाग-(अ) + भाग-(ब) में कुल मिलाकर 60% एवं अजा/अजजा के कर्मचारियों को 50% अंक लाना आवश्यक होगा।

04. लिखित परीक्षा व सेवा रिकार्ड के आधार पर चयन नामिका वरीयता के आधार पर बनायी जावेगी। इस चयन में बेस्ट अमंग फेल्यूर स्कीम लागू होगी।

(7) लिखित परीक्षा/पाठ्यक्रम :-

01. As per railway board letter no E(NG)/I/2018/PM1/4 dated 14.12.2018 (RBE No 196/2018) प्रकार के निर्देशानुसार लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 100% वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। जिसमें 110 प्रश्न (राजभाषा नियम पर 10 प्रश्न सहित) होंगे। भाग -(अ) में 50 प्रश्न एवं भाग -(ब) में 60 प्रश्न (राजभाषा नियम पर 10 प्रश्न सहित) होंगे। भाग -(ब) में से किसी भी 50 प्रश्नों के उत्तर दिये जा सकते हैं। भाग -(ब) में राजभाषा नीति पर प्रश्न शामिल करना अनिवार्य है लेकिन उम्मीदवार ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे (120 मिनट) की होगी।

02. सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे।

03. इस चयन हेतु ऋणात्मक मूल्यांकन लागू नहीं होगा। (RBE No 194/2019)

04. प्रश्न पत्र दो भागों में रहेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्न होगा:-

भाग-(क) अंग्रेजी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान।

भाग-(ख) सामान्य ज्ञान जो मुख्यतः रेलवे से संबंधित होगा तथा अंकगणित।

परीक्षा उपरांत Answer key & Objection Trac key ECA जारी होने जारी लिंक के माध्यम से उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। लिंक की सूचना पत्र के माध्यम से दी जावेगी।

दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी Scribe आवश्यकता के संबंध में अपना आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा (Ann-iii) में आवेदन के साथ संलग्न करे। (Candidates availing the assistance of a scribe shall be eligible for compensatory time of not less than 20 minutes for every hour of examination.)

(8) पूरक लिखित परीक्षा :-

(a) ऐसे उम्मीदवार जिन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए प्रशासनिक कारणों से भारमुक्त नहीं किया जा सका उन्हें ही पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जावेगी, यदि डिपो प्रभारी द्वारा कर्मचारी के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित न होने के संबंध में तदावय का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(b) ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा तिथि के काफी पहले से एवं मुख्य परीक्षा के दौरान भी बीमार हैं, उन्हें केवल रेलवे चिकित्सक प्रमाणपत्र के आधार पर ही पूरक परीक्षा के लिए अनुमति दी जावेगी। इस संबंध में उम्मीदवार के नियंत्रक अधिकारी द्वारा काउंटर साइन एवं डिपो प्रभारी द्वारा विधिवत अग्रपत्र जारी किया जावेगा।

(c) मुख्य लिखित परीक्षा के लिये अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों को उपरोक्त (a) और (b) में उल्लेखित कारणों के अलावा पूरक लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(9) आवेदक कर्मचारियों के लिये महत्वपूर्ण सूचना :-

अजा./अजजा. वर्ग के रेल कर्मचारियों को जाति प्रमाण-पत्र की स्व सत्यापित/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जाति प्रमाण-पत्र की स्त्यापित प्रतिलिपि संलग्न न करने पर आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। चयनित कर्मचारी की मंडल के किसी भी स्टेशन पर पदस्थापना की जा सकती है। कृपया आवेदन के पूर्व नोट कर ले तथा इसकी घोषणा आवेदन में भी करे।

अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन निरस्त किये जायेंगे एवं इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

नोट:- प्रशासन के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि कर्मचारी किसी भी स्तर में आयोग्य पाये जाने पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में प्रशासन कोई भी निर्णय लेने के लिये अंतिम प्राधिकारी होगा।

नियंत्रक अधिकारी/पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी प्रति नियुक्त/प्रशिक्षण/स्वीकृत अवकाश/सिक या अन्य यूनिट/डिपो में स्थानांतरण पर है लेकिन उनका लियन जबलपुर मंडल में है उन्हें संदेशवाहक के जरिये इस अधिसूचना को नोट कराया जाये। इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे। उसकी प्रति नोटिसबोर्ड पर भी चस्पा की जावे।

संलग्न:-1) Scribe के लिये आवेदन का प्रोफार्मा (Ann-i)

41
21/01/26
(पंकज कुमार सिन्हा)

सहा. कार्मिक अधिकारी (इंजी.)

प.म.रे/जबलपुर

प्रति:- वरि.उपमहाप्रबंधक एवं मुख्य सर्तकता अधिकारी, पमरे जबलपुर को सादर सूचनार्थ।

प्रति:- प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, पमरे जबलपुर को सादर सूचनार्थ।

प्रति:-वरि.मं.परि.प्रबं./वरि.मं.वि.इंजी.(टीआरडी)/वरि.मं.वि.इंजी.(टीआरओ)/वरि.मं.यां.इंजी (सम)/वरि.मं.सामग्री प्रबंधक जबलपुर को सूचनार्थ।

प्रति:- मुख्य.कार्या.अधी(का) गोपनीय/यातायात/टीआरडी/कै.वे/शेड को सूचनार्थ।

प्रति:- मुख्य.कार्या.अधी(अका) यातायात/टीआरडी/कै.वे/शेड को सूचनार्थ।

प्रति:-मंडल सचिववे.से.रे.म.सं/एस.सी/एस.टी./ओबीसी एम्प.एसों जबलपुर को सूचनार्थ।

41
21/01/26
कृते मं.रे.प्र.(का) जबलपुर

APPENDIX- II

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

I _____, a candidate with _____ (name of the disability) appearing for the _____ (name of the examination) bearing Roll No. _____ at _____ (name of the centre) in the District _____ (name of the State) My qualification is _____

I do hereby state that _____ (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is _____. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with Disability)

Place:

Date:

12/07/21